राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाडा (राज0)

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2021/155/2021 दिनांकः 07.07.2021

तहसीलदार
माण्डलगढ़

विषयः पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान

1. कैलाशचन्द्र पुत्र प्रभुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महुँआ तहसील माण्डलगढ़।
2. जगदीशचन्द्र पिता प्रभुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महुँआ तहसील माण्डलगढ़।
3. शंकरलाल पिता प्रभुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महुँआ तहसील माण्डलगढ़।
4. शम्भुलाल पिता प्रभुलाल प्रभुलाल जाति ब

बनाम

1. घीसु पिता कजोड़ जाति कुम्हार निवासी महुँआ तहसील माण्डलगढ़।
2. पिता किशना जाति गुर्जर निवासी महुँआ तहसील माण्डलगढ़।
3. धन्ना पिता किशना जाति गुर्जर निवासी महुँआ तहसील माण्डलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवानिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम महुआ पटवार हल्का महुआ की सरहद में स्थित खाता संख्या. 248 की आराजी संख्या 2110,2111,2112,2177 कुल किता 4 रकबा 3.0918 बीघा भूमि की बशामलात् पडौसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/– रूपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner